**भारत सरकार**

**पेयजल और स्‍वच्‍छता मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या. 30**

**दिनांक 24.11.2014 को उत्‍तर दिए जाने के लिए**

**फ्लुरोसिस से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के लिए शुद्ध पेयजल**

**30. Jh Hkwfianj flag%**

**D;k is;ty vkSj LoPNrk ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%**

¼d½ D;k ljdkj dks vksfM'kk esa ¶yqjksfll ls izHkkfor {ks= dh tkudkjh gS(

¼[k½ ;fn gka] rks izHkkfor {ks= ds yksxksa ds fy, 'kq) is;ty miyC/k djkus ds fy, D;k

dne mBk;s x;s gSa( vkSj

¼x½ uqvkikM+k vkSj ^dkykgkaMh rFkk ckyuxhj ftys\* ds fgLlksa ds fy, D;k fo'ks"k ;kstuk,a

vkjEHk dh x;h gSa\

**उत्‍तर**

**पेयजल और स्‍वच्‍छता मंत्री**

**(श्री बीरेन्द्र सिंह)**

(क) जी, हां। भारत सरकार उड़ीसा सहित देश में फ्लुओरोसिस से प्रभावित बसावटों के बारें में अवगत है।

(ख) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्‍य का विषय है। मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्‍वच्‍छ एवं पर्याप्‍त पेयजल की सुविधाएँ उपलब्‍ध कराने के लिए केन्‍द्र प्रायोजित राष्‍ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीब्ल्यूपी) के अंतर्गत तकनीकी एवं वित्‍तीय सहायता उपलब्‍ध कराकर राज्यों के प्रयासों को पूरा करता है। राज्‍यों को आबंटित एनआरडीडब्‍लूपी निधियों की 67 प्रतिशत तक राशि‍ का उपयोग देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल गुणवत्‍ता से जुड़ी समस्‍याओं का समाधान करने के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्‍त, एनआरडीब्ल्यूपी निधियों की 5 प्रतिशत राशि‍ उन राज्‍यों के लिए निर्धारित र्और आबंटित की गयी है, जहाँ पेयजल में रासायनिक संदूषण की समस्‍याओं का सामना किया जा रहा है अथवा जहाँ जापानी एनसैफलाइटिस एवं एक्यूट एनसैफलाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित उच्‍च प्राथमिकता वाले जिले हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार जल गुणवत्ता के अनुवीक्षण तथा निगरानी के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के आधार पर राज्यों को 3 प्रतिशत एनआरडीब्ल्यूपी निधियां उपलब्ध कराती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जिले/ उप जिले में नई अथवा उन्नत जल गुणवत्ता जाँच प्रयोगशालाएं स्थापित करने, प्रयोगशालाओं को रसायन तथा उपभोग्य सामग्री उपलब्ध कराने, ग्राम पंचायतों को क्षेत्र जाँच किट/ रीफिल उपलब्ध कराने आदि से संबंधित कार्यों को किया जाना शामिल है। इसके अलावा, राज्यों को आबंटित एनआरडीब्ल्यूपी निधियों की 10 प्रतिशत तक राशि ‍का उपयोग भूमिगत जल का कृत्रिम ढंग से पुनर्भंडारण करने के लिए तथा अन्य तरीकों से पेयजल के स्रोतों के स्थायित्व के लिए किया जा सकता है जिनमें अन्य तरीकों के साथ-साथ एक्वीफायरों में संदूषण का स्तर भी कम हो सकता है।

उड़ीसा सरकार ने यह भी सूचना दी है कि राज्य में कुल 1658 फ्लुओराइड से प्रभावित बसावटें, है, जिनमें से 916 बसावटों में स्वच्छ स्त्रोतों से पाइप द्वारा जल आपूर्ति स्कीमों के माध्यम से पहले ही समस्या का समाधान किया जा चुका है। जबकि 224 और अधि‍क बसावटों में स्वच्छ कुओं के माध्यम से, 93 बसावटों में निकट के ट्यूब-वैलों के माध्यम से समस्या का समाधान किया गया है जहां फ्लुओराइड से मुक्त जल उपलब्ध है।

(ग) ओडिशा सरकार ने सूचना दी है कि जिले में कुल 2355 बसावटों में से नौपाड़ा जिले की 905 बसावटें फ्लुओराइड से अत्यधि‍क प्रभावित हैं। इनमें से, फ्लुओराइड से प्रभावित 305 बसावटों में 101 पाइप द्वारा जलापूर्ति स्कीमों के माध्यम से स्व्च्छ पेयजल उपलब्ध कराकर पहले ही समस्या का समाधान कर लिया गया है। पाइप द्वारा जलपूर्ति की अन्य 36 स्कीमें भी स्वीकृत की गई है और वे फ्लुओराइड से प्रभावित 95 बसावटों को कवर करने के लिए पूरा होने के विभि‍न्न चरणों में है। जिले में फ्लुओराइड से प्रभावित शेष 505 बसावटों को शुरू करने हेतु 747 करोड रू0 की अनुमानित लागत से पाइप द्वारा जल आपूर्ति की विभि‍न्न मेगा परियोजनाओं को शुरू करने हेतु कार्य की शुरूआत की गई है। चूंकि इन मेगा स्कीमों को पूरा होने में निर्माण पूर्व की तैयारी में लंबा समय लगता है, अत: राज्य सरकार ने फ्लुओराइड रहित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 600 हैण्डपंप आधारित इकाइयों की संस्थापना करने की अपेक्षा की है ताकि ग्रामीण लोगों को जोखि‍म में न डाला जाए ।

कालाहांडी जिले में, राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि वहां फ्लुओराइड से प्रभावित 53 बसावटें है, जिनमें से 20 बसावटें पहले से ही पाइप द्वारा जल आपूर्ति स्कीमों के माध्यम से कवर की जा चुकी हैं और शेष 33 बसावटों में ट्यूब वैल/स्वच्छ कुओं के माध्यम से समस्या का समाधान किया गया है।

बोलनगीर जिले में, ओडिसा सरकार ने यह सूचना दी है कि उस जिले में फ्लुओराइड से प्रभावित 6 बसावटें हैं। इनमें से 2 बसावटों में पाइप द्वारा जलपूर्ति स्कीमें पूरा होने के विभि‍न्न चरणों में हैं और जिले में फ्लुओराइड से प्रभावित शेष 4 बसावटों में समस्या का समाधान करने हेतु वर्ष 2014-2015 में पाइप द्वारा जलपूर्ति की स्कीमें भी स्वीकृत की गई हैं ।

\*\*\*\*